संदर्भ की शर्तें

परामर्शदाता (विधिक)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का आपातकालीन चिकित्सा राहत प्रभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आपातकालीन चिकित्सा राहत प्रभाव और जन स्वास्थ्य प्रभाग से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के सिलसिले में एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे कार्यात्मक अपेक्षा और उपयुक्तता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, परामर्शदाता (विधिक) की सेवाओं को संविदा आधार पर अनुबंधित करने के लिए अभिप्रेत है।

कार्य उत्तरदायित्व: ईएमआर प्रभाग और जन स्वास्थ्य प्रभाग की सहायता करना शामिल है, परंतु जोनिम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे:-

- ईएमआर प्रभाग और जन स्वास्थ्य प्रभाग से संबंधित विधिक मामले।
- कानून/संविधि से जुड़े मामलों की जांच और विश्लेषण तथा परामर्श देना।
- विधिक मामलों से जुड़े विभिन्न फोरम (न्यायालयों) में मामले दायर करने के लिए दस्तावेज तैयार करना।
- दस्तावेजों की विधिक विविक्षा के संबंध में परामर्श और जानकारी देना।
- ईएमआर प्रभाग और जन स्वास्थ्य प्रभाग द्वारा सौंपे गए कोई अन्य और सभी कार्य निष्पादित करना।
- ईएमआर प्रभाग और जन स्वास्थ्य प्रभाग के अन्य अधिकारियों और परामर्शदाताओं के समन्वय में कार्य करना।
- निर्णय विधि को उद्धृत करने और प्रेषित करने की क्षमता।
- सरकारी काउंसिलों और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- लंबित न्यायालयी मुकदमों की प्रगति की नियमित निगरानी करते हुए ईएमआर प्रभाग और जन स्वास्थ्य प्रभाग की सहायता करना।
- भारत संघ के एएसजी/विधिक प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करना।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित पड़े न्यायालयी मुकदमों की याचिकाओं और विभिन्न आवेदनों के पैरा-वार/बिंदु-वार जवाब का मसौदा तैयार करना।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर तथा साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बाहर सभी संबंधित पक्षकारों के साथ समन्वय और पत्राचार करना।
- भारत संघ अर्थात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जवाबी हलफनामे, हलफनामे और उत्तर तैयार करना।
- महत्वपूर्ण न्यायालयी मामलों की सुनवाई में शामिल होना और केंद्र सरकार के काउंसिलों तथा लर्नेड एएसजी को मामलों के बारे में ब्रीफ करना।

अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री।

अनुभव: विधिक मामलों में 10 वर्ष का अनुभव, जिनमें से 2 से 4 वर्ष का अनुभव केंद्र सरकार के साथ हो तथा उन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों की जानकारी हो-

- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर के न्यायालयी मुकदमों/मध्यस्थता के मामलों, जिनमें महामारी/जन स्वास्थ्य के आपातकाल/स्थापना/संविदागत मामलों से संबंधित जनहित याचिकाएं/स्व: प्रेरित मामले शामिल हैं, को संभालना।
- कानून/संविधि की जांच और विश्लेषण का अनुभव।
- विधिक प्रक्रियाओं/श्रम कानूनों/मध्यस्थता के मामलों में सरकार के प्रशासनिक विनियमों का गहरा ज्ञान/अनुभव।
- अंग्रेजी भाषा में लिखित और मौखिक धाराप्रवाहिता/विधिक आलेखन में कुशलता।
- जन स्वास्थ्य प्रणालियों और सरकारी स्वास्थ्य स्कीमों के बारे में जानकारी।

आयु: आवेदक आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष की आयु तक का हो तथा क्षेत्रीय दौरे करने के लिए स्वास्थ्य अच्छा हो।

संविदा अवधि: छटनी प्रक्रिया, जिसमें छांटे गए उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हो सकता है, के बाद चयनित उम्मीदवारों के पर प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि, जिसे कार्यात्मक अपेक्षाओं और उपयुक्तता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, पूर्णतः संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

पारिश्रमिक: पारिश्रमिक 1,00,000/-रुपए (एक लाख रुपए मात्र) प्रतिमाह होगा।

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती हेतु सूचना के साथ संलग्न आवेदन पत्र को डाउनलोड कर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को **27-Nov-2020** तक केवल ph.mohfw@gmail.com पर ई–मेल कर दें। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिष्चित करें कि आवेदन पत्र पर आवेदन किए गए पद का उल्लेख किया गया है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।